FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0189 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 21/07/2025 16:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 27/06/2025 Date To (दिनांक तक): 27/06/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 20:25 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/07/2025 Time (समय): 12:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 21/07/2025 16:19:55 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 22 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): BARKHERA TOLL PLAZA, SHIVDASPURA ,JAIPUR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):
   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ARCHANA MEENA

(b) Wife's Name (पत्नी का नाम): VINEET KUMAR MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	S.U. 1 ACB JAIPUR, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	S.U. 1 ACB JAIPUR, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAGRAM MEENA		पिता:KALJIRAM MEENA	1. 31,CHAKROL JDA COLONY,SKIT KE PEECHHE JAGTPURA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,35,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 9,35,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि ब्यूरो मुख्यालय पर उच्चाधिकारियों को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी झालावाड़ में पदस्थापित श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का लोक कृत्य भ्रष्ट होकर भ्रष्ट आचरण पूर्वक लोक कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है श्री जगराम मीणा की आम छवि आमजन व राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी सही नहीं है। श्री जगराम मीणा एसीबी चौकी झालावाड पदस्थापित होने से ही झालावाड जिले के सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों को सुविधा शुल्क व भ्रष्टाचार करने की छूट प्रदान की जा रही है श्री जगराम मीणा द्वारा सरकारी कार्यालियों के अधिकारी व कर्मचारियों को डरा धमकाकर मासिक बंधी व सुविधा शुल्क अवैध रूप से प्राप्त की जा रही है, श्री जगराम मीणा प्रत्येक शुक्रवार को जयपुर अपने निवास स्थान पर आने से पूर्व मासिक बंधी व सुविधा शुल्क सरकारी कार्यालयों से प्राप्त कर अपनी गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 में अवैध राशि रखकर जयपुर आते हैं उक्त सूत्र सूचना विश्वसनीय होने से श्री राजेन्द्र सिंह मुख्य आरक्षी नम्बर 130 व श्री लक्ष्मण मुख्य आरक्षी नम्बर 15 से निगरानी करवायी गयी, निगरानी में श्री जगराम मीणा के उक्त भ्रष्ट आचरण व अवैध राशि के संकलन की पुष्टि हुयी। दिनांक 27.06.2025 को ब्यूरो मुख्यालय के उच्चाधिकारियों को समय करीब 03.00 पीएम के लगभग जरिये विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी झालावाड ने आज दिनांक को सरकारी विभागों के कार्यालयों से भ्रष्ट आचरण पूर्वक अवैध राशि का संकलन कर अपनी गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 से जयपुर आ रहे हैं तथा उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध राशि को उक्त स्विफ्ट डिजायर कार में ही रखा है इस पर श्री राजेन्द्र सिंह मुख्य आरक्षी नम्बर 130 व श्री लक्ष्मण मुख्य आरक्षी नम्बर 15 को मय प्राइवेट वाहन के उक्त गाडी के डिटेन हेतु टोंक की तरफ रवाना किया गया। पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह को कार्यालय पर तलब किया गया। तथा कार्यालय स्टाफ को भी तलब किया गया। इसके पश्चात निर्देशानुसार श्री पुष्पेन्द्रसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रमेश चन्द सहायक उप निरीक्षक, श्री केसरसिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री जगदीश मुख्य आरक्षी मय प्राइवेट वाहन, मन् अर्चना मीणा निरीक्षक पुलिस, श्री अनोख कुमार मुख्य आरक्षी, श्री रविन्द्र कुमार आरक्षी, श्री यशपाल शर्मा आरक्षी, श्री संजय कुमार आरक्षी मय स्वतंत्र गवाहन श्री बनवारी चौधरी व श्री मनीष कुमार मीणा मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 6424 मय चालक राकेश कुमार आरक्षी के समय 07.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर 08.10 पीएम पर बरखेड़ा टोल प्लाजा शिवदासपुरा पर पहुंचकर वाहनों को साईड में खडा करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को गोपनीय/विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के बारे में अवगत करवाया जाकर संदिग्ध व्यक्ति/लोकसेवक के बारे में अवगत करवाया जाकर संदिग्ध लोक सेवक द्वारा उपयोग में लेकर आ रही कार स्विफ्ट डिजायर कार के बारे में बताया गया। एवं दोनों गवाहन से गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों गवाहन द्वारा पृथक-पृथक अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके पश्चात मन् अर्चना मीणा पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित टोल मैनेजर को स्वयं व हमराहियान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया एवं स्वतंत्र गवाहन व स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश देकर टोल की लाईनों में संदिग्ध लोकसेवक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की निगरानी/डिटेन हेतु खडा किया गया। करीब 10 मिनट पश्चात ही श्री पुष्पेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष श्री लक्ष्मण मुख्य आरक्षी ने अवगत करवाया कि हम संदिग्ध लोकसेवक श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी झालावाड़ की गाडी के पीछे-पीछे आ रहे हैं। उक्त बात मुझे बतायी गयी जिस पर मेरे द्वारा सभी स्टाफ व गवाहन को मुस्तैदी के लिये पाबंद किया गया। समय 08.25 पीएम पर एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 आती हुयी दिखाई दी जिसको मन् पुलिस निरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहन व ब्यूरो टीम के साथ रूकवाया गया जिसमें एक आसमानी रंग का लाईनदार शर्ट व नीले रंग की पेण्ट पहना हुआ व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। श्री रविन्द्र कुमार कानि से वीडियो रिकार्डिंग शुरू करवायी गयी। इसके पश्चात स्विफ्ट डिजायर कार में बैठे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम जगराम मीणा पुत्र श्री कलजीराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 58 साल, निवासी मकान नम्बर 31 चकरोल जेडीए कॉलोनी एसकेआईटी के पीछे जगतपुरा जयपुर हाल- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी झालावाड़ पर

पदस्थापित होना बताया। श्री जगराम मीणा को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं, हमराहियान, स्वतंत्र गवाहन की जामा तलाशी हेतु कहा जाने पर सदभावना पूर्वक इंकार किया गया। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से पूछा गया आप कहां से आ रहे हो व कहां जा रहे हो तथा आपकी गाडी में क्या-क्या लेकर आये हो, श्री जगराम मीणा ने बताया कि मैं झालावाड़ से आ रहा हूं तथा मेरे निवास स्थान चकरोल जयपुर जा रहा हूं। उक्त जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उक्त कार से सम्मानजनक पूर्वक नीचे उतरवाया गया। व कार में पीछे की तरफ रखे तीन बैगों में रखे सामान के बारे में पूछा तो एकदम से जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी गर्दन नीची कर कुछ नहीं होना बताया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री बनवारी चौधरी से कार का पिछला गेट खुलवाकर सर्वप्रथम एक काले रंग का ट्राली बैग बाहर निकलवाया गया, जिसमें पाया गया सामान/संदिग्ध राशि का विवरण निम्नानुसार है - 01. एक प्लास्टिक गोल डिब्बा जिसमें दवाई चूर्ण के पैकेट 02. एक प्लास्टिक का छोटा बॉक्स जिसमें स्टार व वर्दी की पिन 03. एक थैली जिसमें वर्दी की दो पैण्ट 04. एक पानी की मिल्टन कम्पनी की बोतल 05. एक थैली जिसमें दो पायदान सेट 06. एक थैली जिसमें चूर्ण की सात डिब्बीयां आर्युवेदिक 07. एक प्लास्टिक फोल्डर नीले रंग का जिसमें अखबार में कुछ लिपटा होकर रखा हुआ था जिसको स्वतंत्र गवाह श्रीं बनवारी चौधरी से फोल्डर से बाहर निकलवाकर देखने पर अखबार के अन्दर लिपटी हुयी 500-500 के नोटों की दस गड्डिया राशि 5,00000/- रूपये होना पायी गयी (उक्त संदिग्ध राशि प्लास्टिक के फोल्डर में पूर्व स्थिति के अनुसार वापस रखी गयी,) 08. एक पीले रंग का बंद लिफाफा जिसको स्वतंत्र गवाह श्री बनवारी चौधरी से खुलवाया गया तो लिफाफे में 500-500 रूपये की चार गड्डिया राशि 2,00000/- रूपये होना पायी गयी (उक्त पीले रंग के लिफाफे में पूर्व स्थिति के अनुसार राशि वापस रखी गयी,) 09. एक पीले रंग का छोटा लिफाफा जिसको स्वतंत्र गवाह श्री बनवारी चौधरी से खुलवाया गया तो लिफाफे में 500-500 रूपये की दो गड्डिया राशि 1,00000/- रूपये होना पायी गयी (उक्त पीले रंग के लिफाफे में पूर्व स्थिति के अनुसार राशि वापस रखी गयी,) 10. एक सफेद रंग का छोटा लिफाफा जिसको स्वतंत्र गवाह श्री बनवारी चौधरी से खुलवाया गया तो लिफाफे में 500-500 रूपये की दो गड्डिया राशि 1,00000/- रूपये होना पायी गयी (उक्त सफेद रंग के लिफाफे में पूर्व स्थिति के अनुसार राशि वापस रखी गयी) इसके पश्चात गवाह श्री बनवारी चौधरी से एक लाल रंग का लेदर बेग निकलवाया गया जिसमें पाये गये सामान/संदिग्ध राशि का विवरण निम्नानुसार है - 1. एक पीले रंग का बंद लिफाफा जिस पर 1276/24.06.2024 श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड लिखा हुआ को गवाह श्री बनवारी चौधरी से खुलवाने पर 500-500 रूपये के 70 नोट राशि 35,000/- रूपये होना पाया गयी। (उक्त लाल रंग के लेदर बैग में मिली राशि को पूर्व स्थिति के अनुसार वापस रखी गयी) 2. एक डिब्बी छोटी जिसमें एक चांदी का छोटा सिक्का इसके पश्चात गवाह श्री बनवारी चौधरी से एक नीले रंग का बैग निकलवाकर चैक करवाया गया जिसमें पानी की बोतल व नमकीन की थैली होना पायी गयी जिसे वापस पूर्व स्थित अनुसार वापस रखी गयी। इसके पश्चात श्री बनवारी चौधरी से एक हैण्ड बैग निकलवाया जाकर चैक करवाया गया जिसमें इस्तेमाली कपडे. होना पाया गया। इसके पश्चात कार में दो गर्म कोट होना पाया गया। कार के अंदर एक हरे रंग का फाईल बस्ता रखा हुआ था जिसको गवाह श्री बनवारी चौधरी से निकलवाकर चैक करवाया गया तो प्राथमिक जांच संख्या 46/2024 की मूल पत्रावली होना पायी गयी व कार में पीछे की सीट पर एक फैमिली फोटोफ्रेम रखी होना पायी गयी। इसके पश्चात श्री जगराम मीणा की स्विफ्ट डिजायर कार की डिग्गी खुलवायी गयी जिसमें पाये गये सामान को गवाह श्री बनवारी चौधरी से निकलवाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है - 1. एक नीले रंग की पोलिथीन जिसमें गर्म कम्बल होना पाया गया। 2. एक ब्लेक रंग व नीले रंग की थैली में गर्म कम्बल होना पाया गया। 3. एक प्लास्टिक कट्टे में जौ व चना होना पाया गया 4. दो जोडी चप्पल 5. एक एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें इस्तेमाली कपडे. होना पाया गया। 6. एक तेल का पीपा 7. एक थैली में लहसून 8. एक बॉक्स में हवा भरने का पम्प मौके पर टोल होने से काफी भीडभाड़ होने व टोल पर जाम लगने से आवागमन बाधित होने व आने जाने वालों के रूकने के कारण व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी तथा टोल कार्यालय दूसरी तरफ होने एवं मौके पर अंधेरा होने से कार्यवाही के लिए उपयुक्त स्थान पर जाना अति आवश्यक होने से पुलिस थाना शिवदासपुरा पहुंचकर कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया इसके पश्चात श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की स्विफ्ट डिजायर कार में पाया गया समस्त सामान व संदिग्ध राशि नौ लाख पैंतीस हजार रूपये को पूर्व की स्थिति में ही उक्त कार में रखवाकर संदिग्ध लोकसेवक श्री जगराम मीणा को उक्त कार में बिठाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय अन्य जाब्ता के संदिग्ध लोकसेवक की कार, अन्य जाब्ता मय सरकारी/प्राइवेट वाहनों के कार को लेकर समय 08.50 पीएम पर टोल से रवाना होकर समय 09.05 पीएम पर पुलिस थाना शिवदासपुरा पहुंची। इसके पश्चात वाहनों को साईड में खडा करवाकर पुलिस थाना शिवदापुरा के थानाधिकारी श्री विरेन्द्रसिंह को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया व की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया जाकर कार्यवाही के लिए अनुमति प्राप्त की गयी। इसके पश्चात श्री रविन्द्र कुमार कानि से वीडियो रिकार्डिंग चालू करवाकर श्री जगराम मीणा संदिग्ध लोकसेवक की स्विफ्ट डिजायर कार का लॉक खुलवाकर काले रंग का ट्रॉली बैग एल्फा लिखा हुआ निकलवाया गया । जिसमें एक प्लास्टिक का फोल्डर में अखबार में लिपटे हुए 500-500 रूपये की दस गड्डियां मिली जिनको को दोनो स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 1000 नोट कुल राशि 5,00,000/- रूपये रूपये होना बताया। एक पीले रंग का लिफाफा मिला जिसमें 500-500 रूपये

की चार गड्डियों को निकलवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000/- रूपये होना बताया। एक पीले रंग का लिफाफा जिसमें 500-500 रूपये की दो गड्डियों को निकलवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 200 नोट कुल राशि 1,00,000/- रूपये होना बताया। एक सफेद रंग का छोटा लिफाफा जिसको स्वतंत्र गवाह श्री बनवारी चौधरी से खुलवाया गया तो लिफाफे में 500-500 रूपये की दो गड्डिया राशि 1,00000/- होना बताया । इसके पश्चात एक लाल रंग के लेदर बैग में रखे पीले लिफाफे पर 1276/24.06.2024 श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड लिखा होना पाया गया जिसको दोनों स्वतंत्र गवाहन से गिनवावाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35,000/- रूपये होना बताया गया। इस प्रकार एक प्लास्टिक फोल्डर, दो पीले रंग के लिफाफे, एक सफेद रंग का लिफाफा व एक पीले रंग के लिफाफे में अलग-अलग 9,35,000/- रूपये की संदिग्ध राशि होना पायी गयी । श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से उक्त राशि किस प्रकार वैध है व किस वैध स्त्रोत से अर्जित की गयी एवं उक्त राशि वैध होने के क्या साक्ष्य व प्रमाण आपके पास उपलब्ध है के बारे में पूछा गया तो श्री जगराम मीणा सोच विचार कर बताया कि उक्त राशि वृंदावन शर्मा निवासी झालावाड के लिए प्लॉट खरीदने के लिए लाया हुं। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूछा कि जब आपको वृंदावन शर्मा ने एक साथ पैसे दिये तो आपके पास एक साथ ही पैसे होने चाहिए थे जबकि आपके पास एक प्लास्टिक फोल्डर, दो पीले रंग के लिफाफे, एक सफेद रंग का लिफाफा व एक पीले रंग के लिफाफे में उक्त राशि मिली है इसके क्या कारण है, इस पर श्री जगराम मीणा ने बताया कि मुझे वृंदावन शर्मा ने अलग-अलग समय पर राशि दी है। श्री जगराम मीणा से पूछा गया कि ये वृंदावन शर्मा कौन है तथा कहां पर निवास करता है तथा इसके मोबाईल नम्बर क्या है इस पर श्री जगराम मीणा ने बताया कि वृंदावन शर्मा झालावाड. का निवासी है जो बस स्टेण्ड के पास रहता है जिसका पता व मोबाईल नम्बर मुझे याद नहीं है। श्री जगराम मीणा से पूछा गया कि श्री वृंदावन शर्मा ने आपको प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिये हैं तो उसकी वैध लिखा पढी/ स्टाम्प/ रसीद/ दस्तावेज आपको दिये गये हो या आपने उनको दिये हो तो प्रस्तुत करें । श्री जगराम मीणा ने ऐसे कोई दस्तावेज अपने पास नहीं होना बताया ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। श्री जगराम मीणा से मोबाईल आईफोन प्राप्त कर मोबाईल नम्बर पूछा गया तो उनके द्वारा मोबाईल नम्बर [redacted] व [redacted] होना बताया गया। उक्त मोबाईल का लॉक/पासवर्ड पूछा गया तो पासवर्ड [redacted] होना बताया गया। उक्त मोबाईल को चैक करने पर वृंदावन लाल शर्मा के नाम से [redacted] होना पाये गये। श्री जगराम मीणा से उक्त वृंदावन शर्मा के नम्बर होने के बारे में पूछा गया तो उन्होनें मोबाईल नम्बर वाला व्यक्ति दूसरा वृंदावन शर्मा होना बताया गया। श्री जगराम मीणा ने 35,000/-रूप्ये की राशि के बारे में बताया की मेरे खर्चे की राशि है जो मेरी वैध आय से अर्जित है लेकिन यह नहीं बताया गया कि उक्त राशि किस प्रकार वैध है तथा कहां से निकलवायी है तथा वैध होने के क्या स्त्रोत है। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी कार में उनके कब्जे से पायी गयी संदिग्ध अवैध राशि 9,35,000/- रूपये के संबंध में पूछा जाकर जवाब डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में पृथक से रिकॉर्ड किया गया। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी में कार्यरत है जो एसीबी की कार्यप्रणाली व कानूनी विधियों को भली भांति समझते हैं, श्री जगराम मीणा द्वारा सोच समझकर जवाब दिया गया है तथा अपने बचाव में वृंदावन लाल शर्मा का नाम लिया गया है ताकि बाद में अपने बचाव में वृंदावन शर्मा से साक्ष्य तैयार कर प्रस्तुत कर सके। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी कार से झालावाड. से सवार होकर जयपुर अपने निवास स्थान पर आने के समय जिला झालावाड. के सरकारी कार्यालय के लोकसेवकों से एक प्लास्टिक के फोल्डर, दो पीले रंग का लिफाफे, एक सफेद रंग का लिफाफा व एक पीले रंग के लिफाफे में 9,35,000/- रूपये की अवैध संदिग्ध राशि प्राप्त कर अपने कब्जे में रखकर उक्त राशि पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखकर लेकर आने व उक्त अलग-अलग लिफाफों में बरामद होने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाने से संदिग्ध आरोपी श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का उक्त कृत्य एक दिन चैक पीरियड आय से अधिक सम्पत्ति का पाया जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) पीसी एक्ट का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से उक्त अवैध संदिग्ध राशि 9,35,000/- रूपये को जरिये फर्द दिनांक 27.06.2025 को पृथक से मय लिफाफा मय फोल्डर सहित जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से इनकी कार में पायी गयी प्राथमिक जांच संख्या 46/2024 के बारे में पूछा गया कि आप कार्यालय की फाईल घर कैसे लेकर जा रहे हैं तो श्री जगराम मीणा ने बताया कि मेरी दिनांक 30.06.2025 को सीजेएम कोर्ट जयपुर में शहादत है एवं दिनांक 28.06.2025 को ब्यूरो मुख्यालय पर आयोजित रिव्यू मिटिंग में शामिल होना है उक्त प्राथमिक जांच में विचार विमर्श करने हेतु पत्रावली लेकर जयपुर आने की डीआईजी साहब कोटा से अनुमति प्राप्त कर आया हुं। श्री जगराम मीणा से एसीबी चौकी झालावाड में कब से पदस्थापित हो के बारे में पूछा गया तो मार्च 2024 से लगातार पदस्थापित होना बताया। व दिनांक 26.06.2025 को एसीबी चौकी भीलवाडा में अटैच होना बताया। श्री जगराम मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री बनवारी चौधरी से लिवाई गई तो कोई भी आपत्तिजनक वस्तु/राशि नहीं होना पायी गयी। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल आईफोन व कार स्विफ्ट डिजायर की चाबी सुपूर्द की गयी। श्री जगराम मीणा के कब्जे व कार में पाये

गये सामान व राशि के संबंध में विस्तृत पूछताछ नोट मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की कार से बाहर निकलवाये गये एक काले रंग का ट्रॉली बैग, एक लाल रंग का लेदर बैग, एक नीले रंग का बैग, एक हैण्ड बैग, दो गर्म कोट, प्राथमिक जांच संख्या 46/2024 की पत्रावली, एक फैमिली फोटोफ्रेम, दवाईयां, चूर्ण, पायदान व डिग्गी में पाया गया सम्पूर्ण सामान चैक कर वापस डिग्गी में रखवाया जाकर दूरूस्त सुपूर्द किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहन व हमराहियान की जामा तलाशी श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से दिलवाई जाने पर कोई भी संदिग्ध राशि/ वस्तु/ दस्तावेज नहीं पाये गये। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अग्रिम कार्यवाही/ अनुसंधान में सहयोग हेतु हिदायत मुनासिब दी जाकर रूखस्त किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द आकस्मिक चैकिग दिनांक 27.06.2025 तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात बाद कार्यवाही के रवाना होकर दिनांक 28.06.2025 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। स्वतंत्र गवाह मय स्टाफ को समय 9.00 ए.एम पर कार्यालय पर उपस्थिति देने के लिये पाबन्द कर रूखस्त किया गया। जब्त शुदा संदिग्ध अवैध राशि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मय फर्दात को अपने कब्जे में रखा गया। दिनांक 28.06.2025 को कार्यालय समय पर स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो स्टॉफ उपस्थित कार्यालय आये। फर्द आकस्मिक चैकिंग के दौरान केमरे से की गयी विडियो रिकॉर्डिंग के मेमोरी कार्ड बनवाने के लिये कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड को निकालकर कार्ड रीडर की सहायता लैपटॉप से जोड़कर चैक करने पर उक्त विडियो की क्षमता मेमोरी कार्ड जितनी होना पायी गयी। इसके पश्चात लैपटॉप से उक्त मेमोरी कार्ड micro V10 HIKVISION 32 GB में संरक्षित विडियो रिकॉर्डिंग को बिना छेड़छाड़/कांटछांट के सुरक्षित हालात में कार्ड रीडर में डालकर लेपटॉप से जोड़कर उसमें रिकॉर्ड वीडियो की हैस वैल्यू निकाली गयी। इसके पश्चात कार्यालय से 02 मेमोरी कार्ड micro V10 HIKVISION 32 GB मंगवाये जाकर लैपटाप में उक्त 02 मेमोरी कार्ड को बारी-बारी से लगवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात उक्त 02 मेमोरी कार्ड को बारी-बारी से लैपटॉप में डालकर खाना तलाशी विडियों रिकॉर्डिंग की मूल मेमोरी कार्ड से कॉपी की गयी। इसके पश्चात उक्त तीनों मेमोरी कार्ड को बारी-बारी से चैक किया जाने पर विडीयो रिकॉर्डिंग संरक्षित/सेव/कॉपी होना सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार मूल मेमोरी कार्ड का अवलोकन करने पर मेमोरी कार्ड micro V10 HIKVISION 32 GB होना पाया गया। जिसको एक माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर की जाकर पैकिट पर मार्क SD अंकित कर एवं अन्य 02 मेमोरी कार्ड micro V10 HIKVISION 32 GB में से SD-1 को एक प्लास्टिक के कवर में डालकर कवर को कपड़े की थैली में रखकर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष सील मोहर कर स्वतंत्र गवाहों व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया जाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया एवं मेमोरी कार्ड SD-2 को (आई.ओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान/अग्रिम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त तकनीकी कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री संजय कुमार कानि द्वारा की गयी। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द जप्ती एक मूल मेमोरी कार्ड एवं मूल से कॉपी 02 मेमोरी कार्ड पृथक से दिनांक 28.06.2025 को तैयार की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। फर्द आकस्मिक चैकिंग दिनांक 27.06.2025 विरूद्ध श्री जगराम मीणा पुत्र श्री कलजीराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 58 साल, निवासी मकान नम्बर 31 चकरोल जेडीए कॉलोनी एसकेआईटी के पीछे जगतपुरा जयपुर हाल- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी झालावाड़ व तलाशी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 में संदिग्ध लोकसेवक श्री जगराम मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध अवैध राशि 9,35,000/-रूपये अपने कब्जे में रखने के सम्बन्ध में पूछताछ के दौरान की गयी रिकॉर्डिंग दिनांक 27.06.2025 को श्री जगराम मीणा का उक्त राशि के सम्बन्ध में दिया गया जवाब को कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ता की वाईस क्लीप को गवाहान के समक्ष चलाकर सुना गया। उक्त वार्ता की वाईस क्लीप को सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को विभागीय लैपटाप से जोडकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की वाईस क्लीप के 2 मेमोरी कार्ड में तैयार किये जाकर मेमोरी कार्ड मार्क A, मार्क A -1 मार्क A -2 (आई.ओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। मेमोरी कार्ड मार्क A, मार्क A -1 को अलग-अलग प्लास्टिक के कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों मे रखकर सील मोहर की गई। पैकिटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपडे. के पैकिटों पर मार्क अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मेमोरी कार्ड मार्क A, मार्क A -1 को सुरक्षित रखा गया। मेमोरी कार्ड मार्क A-2 (आई.ओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। मूल मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड मार्क A, की हैस वेल्यू मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री संजय कुमार कानि द्वारा निकाली गयी। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट दिनांक 28.06.2025 तैयार की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। दिनांक 27.06.2025 एवं दिनांक 28.06.2025 को की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नलिखित दस्तावेज व शील्ड शुदा आर्टीकल्स 01- फर्द आकस्मिक चैकिंग दिनांक 27.06.20, 02- फर्द जब्ती दिनांक 27.06.2025 संदिग्ध राशि 9,35,000/- रूपये ,03- फर्द ट्रांक्रिप्ट एवं जब्ती ऑडियो रिकार्डिंग मेमोरी कार्ड ,04-फर्द जब्ती वीडियो रिकार्डिंग मेमोरी कार्ड ,05- वीडियो रिकार्डिंग मेमोरी कार्ड का शील्डशुदा पैकेट मार्क SD-1 ,06- आडियो रिकार्डिंग मेमोरी कार्ड का शील्ड शुदा पैकेट मार्क A-1 को दिनांक 28.06.2025 को माननीय एसीबी न्यायालय क्रम संख्या-01 जयपुर में सूचना प्रेषित करवायी गयी। आकस्मिक

चैकिंग के दौरान जप्त शुदा आर्टीकल्स मय संदिग्ध अवैध राशि 9,35,000/-रूपये को जमा मालखाना करवाया जाकर प्राप्ति रसीद शामिल कार्यवाही की गयी। 1. श्री जगराम मीणा के निवास स्थान मकान नम्बर 31 चकरोल जेडीए कॉलोनी एसकेआईटी के पीछे जगतपुरा जयपुर की खाना तलाशी दिनांक 27.06.2025 को श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की जाने पर भारी मात्रा में नगद राशि 40,05,000/- रूपये मिलने पर राशन खर्च के 55,000/- रूपये सुपुर्द कर संदिग्ध अवैध राशि 39,50,000/-रूपये मिलने पर जप्त की गयी तथा 1 प्लॉट के कागजात एवं 85 बोतल अंग्रेजी शराब की अवैध रूप से मिलने पर पुलिस थाना रामनगरिया जयपुर द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। संदिग्ध लोकसेवक श्री जगराम मीणा के निवास स्थान की खाना तलाशी में मिली राशि व परिसम्पतियों की जॉच पृथक से की जा रही है। अब तक की गयी आकस्मिक चैकिंग, फर्द जब्ती संदिग्ध राशि, फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन, ,पूछताछ नोट, निगरानी, विश्वसनीय/गोपनीय सूत्रो एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी झालावाड़ में पदस्थापित श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का लोक कृत्य भ्रष्ट होकर भ्रष्ट आचरण पूर्वक लोक कृतव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। श्री जगराम मीणा की आम छवि आमजन व राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी सही नहीं है। श्री जगराम मीणा एसीबी चौकी झालावाड पदस्थापित होने से ही झालावाड जिले के सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों व कर्मचारियों को सुविधा शुल्क व भ्रष्टाचार करने की छूट प्रदान की जा रही है श्री जगराम मीणा द्वारा सरकारी कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारियों को डरा धमकाकर मासिक बंधी व सुविधा शुल्क अवैध रूप से प्राप्त की जा रही है, श्री जगराम मीणा प्रत्येक शुक्रवार को जयपुर अपने निवास स्थान पर आने से पूर्व मासिक बंधी व सुविधा शुल्क सरकारी कार्यालयों से प्राप्त कर अपनी गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 में अवैध राशि रखकर जयपुर आते हैं उक्त सूत्र सूचना विश्वसनीय होने से श्री राजेन्द्र सिंह मुख्य आरक्षी नम्बर 130 व श्री लक्ष्मण मुख्य आरक्षी नम्बर 15 से निगरानी करवायी गयी, निगरानी में श्री जगराम मीणा के उक्त भ्रष्ट आचरण व अवैध राशि के संकलन की पुष्टि हुयी। दिनांक 27.06.2025 को जरिये विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी झालावाड ने आज दिनांक को सरकारी विभागों के कार्यालयों से भ्रष्ट आचरण पूर्वक अवैध राशि का संकलन कर अपनी गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एसी 6215 से जयपुर आ रहे हैं तथा उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध राशि को उक्त स्विफ्ट डिजायर कार में ही रखा है । इस पर दिनांक 27.06.2025 को श्री जगराम मीणा ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी झालावाड की आकस्मिक चैकिंग की जाने के दौरान श्री जगराम मीणा संदिग्ध लोकसेवक की स्विफ्ट डिजायर कार का लॉक खुलवाकर काले रंग का ट्रॉली बैग एल्फा लिखा हुआ निकलवाया गया जिसमें एक प्लास्टिक का फोल्डर में अखबार में लिपटे हुए 500-500 रूपये की दस गड्डियां को दोनो स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 1000 नोट कुल राशि 5,00,000/- रूपये रूपये होना बताया। एक पीले रंग का लिफाफा जिसमें 500-500 रूपये की चार गड्डियों को निकलवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000/- रूपये होना बताया। एक पीले रंग का लिफाफा जिसमें 500-500 रूपये की दो गड्डियों को निकलवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 200 नोट कुल राशि 1,00,000/- रूपये होना बताया। एक सफेद रंग का छोटा लिफाफा जिसको स्वतंत्र गवाह श्री बनवारी चौधरी से खुलवाया गया तो लिफाफे में 500-500 रूपये की दो गड्डियां राशि 1,00000 /- होना बताया । इसके पश्चात एक लाल रंग के लेदर में बैग में रखे पीले लिफाफे पर 1276/24.06.2024 श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो झालावाड. लिखा होना पाया गया जिसको दोनों स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहन ने 500-500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35,000/- रूपये होना बताया गया। इस प्रकार एक प्लास्टिक फोल्डर, दो पीले रंग के लिफाफे, एक सफेद रंग का लिफाफा व एक पीले रंग के लिफाफे में अलग-अलग 9,35,000/- रूपये की संदिग्ध राशि होना पायी गयी। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से उक्त राशि किस प्रकार वैध है व किस वैध स्त्रोत से अर्जित की गयी एवं उक्त राशि वैध होने के क्या साक्ष्य व प्रमाण आपके पास उपलब्ध है के बारे में पूछा गया तो श्री जगराम मीणा सोच विचार कर बताया कि उक्त राशि वृंदावन शर्मा निवासी झालावाड के लिए प्लॉट खरीदने के लिए लाया हुं। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूछा कि जब आपको वृंदावन शर्मा ने एक साथ पैसे दिये तो आपके पास एक साथ ही पैसे होने चाहिए थे जबकि आपके पास एक प्लास्टिक फोल्डर, दो पीले रंग के लिफाफे, एक सफेद रंग का लिफाफा व एक पीले रंग के लिफाफे में उक्त राशि मिली है इसके क्या कारण है, इस पर श्री जगराम मीणा ने बताया कि मुझे वृंदावन शर्मा ने अलग-अलग समय पर राशि दी है। श्री जगराम मीणा से पूछा गया कि ये वृंदावन शर्मा कौन है तथा कहां पर निवास करता है तथा इसके मोबाईल नम्बर क्या है इस पर श्री जगराम मीणा ने बताया कि वृंदावन शर्मा झालावाड. का निवासी है जो बस स्टेण्ड के पास रहता है जिसका पता व मोबाईल नम्बर मुझे याद नहीं है। श्री जगराम मीणा से पूछा गया कि श्री वृंदावन शर्मा ने आपको प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिये हैं तो उसकी वैध लिखा पढी/ स्टाम्प/ रसीद/ दस्तावेज आपको दिये गये हो या आपने उनको दिये हो तो प्रस्तुत करें। श्री जगराम मीणा ने ऐसे कोई दस्तावेज अपने पास नहीं होना बताया ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। श्री जगराम मीणा से मोबाईल आईफोन प्राप्त कर मोबाईल नम्बर पूछा गया तो उनके द्वारा मोबाईल नम्बर [redacted] व [redacted] होना बताया गया।

उक्त मोबाईल का लॉक/पासवर्ड पूछा गया तो पासवर्ड 280766 होना बताया गया। उक्त मोबाईल को चैक करने पर वृंदावन लाल शर्मा के नाम से [redacted] होना पाये गये। श्री जगराम मीणा से उक्त वृंदावन शर्मा के नम्बर होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मोबाईल नम्बर वाला व्यक्ति दूसरा वृंदावन शर्मा होना बताया गया। श्री जगराम मीणा ने 35,000/-रूप्ये की राशि के बारे में बताया की मेरे खर्चे की राशि है जो मेरी वैध आय से अर्जित है लेकिन यह नहीं बताया गया कि उक्त राशि किस प्रकार वैध है तथा कहाँ से निकलवायी है तथा वैध होने के क्या स्त्रोत है। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी कार में उनके कब्जे से पायी गयी संदिग्ध अवैध राशि 9,35,000/- रूपये के संबंध में पूछा जाकर जवाब डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में पृथक से रिकॉर्ड किया गया। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी में कार्यरत है जो एसीबी की कार्यप्रणाली व कानूनी विधियों को भली भांति समझते हैं, श्री जगराम मीणा द्वारा सोच समझकर जवाब दिया गया है तथा अपने बचाव में वृंदावन लाल शर्मा का नाम लिया गया है ताकि बाद में अपने बचाव में वृंदावन शर्मा से साक्ष्य तैयार कर प्रस्तुत कर सके। श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी कार से झालावाड से सवार होकर जयपुर अपने निवास स्थान पर आने के समय जिला झालावाड के सरकारी कार्यालय के लोकसेवकों से एक प्लास्टिक के फोल्डर, दो पीले रंग का लिफाफे, एक सफेद रंग का लिफाफा व एक पीले रंग के लिफाफे में 9,35,000/- रूपये की अवैध संदिग्ध राशि प्राप्त कर अपने कब्जे में रखकर उक्त राशि पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखकर लेकर आने व उक्त अलग-अलग लिफाफों में बरामद होने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाने से संदिग्ध आरोपी श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का उक्त कृत्य एक दिन चैक पीरियड आय से अधिक सम्पत्ति का पाया जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) पीसी एक्ट का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से आरोपी लोकसेवक श्री जगराम मीणा पुत्र श्री कलजीराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 58 साल, निवासी मकान नम्बर 31 चकरोल जेडीए कॉलोनी एसकेआईटी के पीछे जगतपुरा जयपुर तत्कालीन- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी झालावाड़ के विरूद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को प्रेषित है। (अर्चना मीणा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू.प्रथूम जयपुर।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.प्रथूम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगराम मीणा पुत्र श्री कलजीराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 58 साल, निवासी मकान नम्बर 31 चकरोल जेडीए कॉलोनी एसकेआईटी के पीछे जगतपुरा जयपुर तत्कालीन-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी झालावाड़ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 588 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1075-79 दिनांक 21-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2-प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक, शासन सचिवालय,राजस्थान जयपुर। 4-महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर । 5-पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.प्रथूम जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vijay Kumar Swarnkar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/07/2025 16:2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/07/1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह [illegible] तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)